# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

**पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 67/2015 (2015/00146)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**प्रार्थीगण**

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्वर्गीय मानसिंह
2. धरमवीर सिह पुत्र स्वर्गीय मानसिंह
3. सोन कंवर पत्नी स्वर्गीय मानसिंह
4. मगन कंवर पत्नी स्वर्गीय देवीसिंह उर्फ भंवर सिह

सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय जगदीश सिंह
2. महेन्द्र सिह पुत्र स्वर्गीय जगदीश सिंह
3. जितेन्द्र सिह पुत्र स्वर्गीय जगदीश सिंह
4. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्वर्गीय जीवणसिंह
5. जयसिंह पुत्र स्वर्गीय जीवणसिंह
6. नाथूसिंह पुत्र स्वर्गीय जीवणसिंह
   सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर श्रीमती सरोज कंवर पत्नी श्री भंवरसिह पुत्री स्वर्गीय श्री भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान हाल मुकाम पोस्ट बरड़वा, वाया छोटी बेरी, तहसील डीडवाना जिला नागौर।
7. श्रीमती मंजू कंवर पत्नी श्री नवलसिह पुत्री पुत्री स्वर्गीय श्री भोपालसिंह जााति राजपूत निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान हाल मुकाम पोस्ट चीचड़ोली वाया नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान।
8. दिलिप सिंह पुत्र स्वर्गीय नरपतसिंह जाति राजपूत।
9. भगवानसिंह पुत्र स्वर्गीय देवीसिंह जाति राजपूत।
10. किरण कंवर पत्नी स्वर्गीय मदनसिह जाति राजपूत।
11. विमला कंवर पत्नी स्वर्गीय राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत।
12. अभयसिंह पुत्र स्वर्गीय राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत।
13. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी।

**प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता दिलाने**

**अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित – श्री हनुवन्तसिंह राठौड़ व दिनेश सिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
श्री माणक चंद व श्री प्रभुलाल अधिवक्ता अप्रार्थीगण 2 व 6 की ओर से ।

**निर्णय**

दिनॉक :– 28/02/2018

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रूपपुरा में प्रार्थीगण सं0 1 ता 4 व अप्रार्थीगण सं0 9 से 13 औपचारिक अप्रार्थीगण की शामलाती कृषि भूमि खसरा संख्या 694 गैर मुमकीन कुआं रकबा 0.03 है0, खसरा सं0 695 रकबा



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

2.69 है0 बारानी त।। खसरा सं0 699 रकबा 0.04 है0 गैर मुमकीन रहवासी ढ़ाणी आई हुई है। अप्रार्थीगण सं0 9 से 13 प्रार्थीगण के शामलाती खातेदार काश्तकार व परिवार के सदस्य है।

अप्रार्थी सं0 1 से 6 खातेदार काश्तकार स्वर्गीय जीवण सिंह के वारिसान है जिनकी खसरा सं0 678 रकबा 5.20 है0, खसरा सं0 1122/696 रकबा 0.37 है0 ग्राम रूपपुरा के राजस्व क्षेत्र में कृषि भूमि आई हुई है। स्वर्गीय जीवणसिंह जी का देहान्त माह मार्च 2015 में हो चुका है।

खातेदार श्रीमती तोप कंवर पत्नी स्वर्गीय श्री भोपालसिंह का देहान्त माह जुलाई 2015 में हो चुका है जिनकी दो पुत्रिया अप्रार्थी सं0 7 श्रीमती सरोज कंवर व अप्रार्थी सं0 8 श्रीमती मंजू कंवर खसरा सं0 696 रकबा 2.06 है0 की खातेदार काश्तकार है।

उपरोक्त कृषि भूमियों के पुराने खसरा सं0 78 थे तथा भूमि प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी अपनी सुविधानुसार मौके पर कृषि कार्य कर फसल की पैदावार लेते थे। इसी प्रकार प्रार्थीगण व अप्राथीगण की अन्य कृषि भूमियों में भी सह खातेदारी रही है और आज भी है।

कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर टोली, छकडा आदि अन्य साधनों के आवागमन हेतु प्रत्येक खातेदार काश्तकार की कृषि भूमि में खेती की सीमा के सहारे सहारे प्रत्येक सहारे रास्ते थे और आज भी है। प्रार्थीगण के खेत खसरा सं0 699 रकबा 0.04 है0 गैर मुमकीन ढ़ाणी व खसरा सं0 694 रकबा 0.03 है0 गैर मुमकीन कुआं पर विधुत संबंध लिया हुआ है तथा कुंए से सिंचाई होती है व ढ़ाणी में प्रार्थीगण व उनके परिवार के लोग रहते है व पालतू पशु भी रखते है।

खोतदार उगम कंवर पत्नी स्वर्गीय श्री सवाई सिंह तथा मदनसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सवाई सिंह व राजेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री मदनसिंह का देहान्त हो चुका है जिनके स्थान पर उनके वारिसान पक्षकार बनाये गये है।

अप्रार्थी दिलीपसिंह फौज में है तथा भगवान सिंह सरकारी नौकरी में होने से व किरण कंवर, विमला कंवर व अजयसिंह बीकानेर में रहते हैं जो यहां उपस्थित नहीं होने से औपचारिक अप्रार्थी बनाये गये है जिनके हस्ताक्षर बतौर प्रार्थीगण नहीं लिये जा सके है। प्रार्थीगण 1 से 4 व अप्रार्थीगण 9 से 13 एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनके हित एक दूसर के विपरीत नहीं हैं।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में खसरा सं0 678 व खसरा सं0 1122/696 तथा खसरा सं0 696 की पूर्वी सीमा के अन्दर की ओर उसके सहारे सहारे दर्शाये अनुसार कटाणी रास्ता ग्राम बरवाली से कुचामनसिटी व रूपपुरा आने जाने वाले रास्ते से बिन्दु ए–बी से दक्षिण दिशा में होता हुआ बिन्दु सी–डी तक जाकर खसरा सं0 694 व 695 की कृषि भूमियों में जाकर खुलता है जो प्रार्थीगण सं0 1 ता 4 व अप्रार्थीगण 9 से 13 की कृषि भूमि व आवासीय ढ़ाणी तक आने जाने के लिए उपयोग उपभोग में लिया जाता रहा है परन्तु उक्त रास्ता कटाणी नहीं होने से अप्रार्थीगण सं 1 से 8 ने माह जुलाई 2015 से उक्त रास्ते में अवरोध उत्पन्न करना शुरू कर दिया है।

संलग्न नजरी नक्शे में प्रदर्शित ए–बी बिन्दुओं से सी–डी बिन्दुओं तक आने जाने वाले रास्ते के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण द्वारा वांछित उक्त रास्ते की चौड़ाई 14 फीट व लम्बाई करीब 1200 फीट है। उक्तोक्त खसरान की खतौनी नक्शा



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

ट्रेस वर्तमान व गत खसरान की खसरा मिलान की नकलें, नक्शा ट्रेस व विधुत संबंध के कागजात प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त रास्ते को कटाणी रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थीगण को उक्त रास्ते के लिए आवेदन करना आवश्यक हो गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि नजरी नक्शे में दर्शायं अनुसार ए–बी बिन्दुओं से सी–डी बिन्दुओं तक 14 फीट चौड़ा व करीब 1200 फीट लम्बा रास्ता उपरोक्त खेतों में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण सं0 1 से 8 के खेतों से प्रार्थीगण को नियमानुसार दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की सुनवाई हेतु तलबी जारी की गई तथा तहसीलदार कुचामन सिटी से मौका रिपोर्ट व उपपंजीयक कुचामनसिटी से डीएलसी की रिपोर्ट मंगवाई गई दिनांक 06.01.2016 को अप्रार्थी सं 1 ता 6 इकतरफा की गई। दिनांक 17.02.2016 को अप्रार्थी सं0 2, 6 की ओर से एक पक्षीय निरस्त की प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी के नो ओब्जेक्शन करने पर स्वीकार की गई। दिनांक 31.03.2016 को अप्रार्थी सं0 14 दिनांक 27.07.2016 को अप्रार्थी सं0 7, 8 के खिलाफ इकपक्षिय की गई। मौका रिपोर्ट प्राप्त शामिल मिसल है। अप्रार्थी सं 9 ता 15 औपचारिक अप्रार्थीगण है। दिनांक 16.10.2017 को वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई शामिल मिसल है। वकुलाय ने बहस सुनाई। प्रार्थना पत्र एंव प्रार्थना पत्र के संलग्न खतौनी, मौका रिपोर्ट दिनांक 07.07.2016 एवं जबाब अप्रार्थी सं0 2 व 6 का, मौका रिपोर्ट दिनांक 29.12.2017, संलग्न नक्शा ट्रेस आदि का अवलोकन एवं वकुलाय की बहस का मनन करने पर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 694, 695 में आने जाने के लिये खसरा नं0 678 व 696 में से खसरा नम्बर 678 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे लम्बाई 240 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर कुल 960 वर्ग मीटर खसरा नम्बर 696 की पूर्वी माठ के सहारे लम्बाई 130 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल 520 यानी 960 + 520 = 1480 वर्ग मीटर हुयी है जिसमें एक खेजडी का पेड़ है । दिनांक 29.12.2017 के द्वारा रिपोर्ट में खसरा नं0 678 लम्बाई 205 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर कुल 820 वर्ग मीटर खसरा नं0 1122/69 में लम्बाई 35 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर कुल 140 वर्ग मीटर, खसरा नं0 696 पश्चिमी सीमा के व दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे दक्षिणी सीमा से मुड़कर 435 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 1740 वर्ग मीटर इस प्रकार कुल 675 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौड़ाई कुल 2700 वर्ग मीटर बनती है इसमें किसी प्रकार का पेड़ नहीं हैं आदि का अवलोकन से न्यायालय का मत है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर खेत खसरा नं0 694, 695 में रास्ता नहीं होने से आने जाने के लिये रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश की। विद्वान वकुलाय की बहस एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 07.07.2016 व दिनांक 29.12.2017 का अवलोकन से मौका रिपोर्ट दिनांक 07.07.2016 में 1480 वर्ग मीटर दूरी बताई है तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 29.12.2017 में 2700 वर्ग मीटर की दूरी बताई है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रावधान है कि अगर किसी खातेदार के खेत में आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तो नजदीकी कटाणी रास्ते से मुआवजा राशि प्राप्त कर रास्ता दिलाया जाना है इसलिये मौका रिपोर्ट दिनांक 07.07.2016 की स्वीकार कर दिनांक 29.12.2017 की मौका रिपोर्ट निरस्त की जाती है। प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिये तहसीलदार कुचामनसिटी की

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मौका रिपोर्ट से वैकल्पिक कोई रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 काबिल स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

## आदेश

ग्राम रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 694 व 695 में आवागमन, पशु मवेशी व ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने हेतु खसरा नम्बर 678 रकबा 5.20 है0 किस्म बारानी दो में से पूर्वी माठ के सहारे सहारे लम्बाई 240 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर कुल रकबा 960 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 696 रकबा 5.34 है0 में से 130 मीटर लम्बाई व चौड़ई 4 मीटर कुल 520 वर्ग मीटर यानि खसरा नम्बर 678 में से 960 वर्ग मीटर व 696 में से 520 वर्ग मीटर कुल 1480 वर्ग मीटर कम कर रास्ता (कटाणी) घोषित किया जाता है। मौका रिपोर्ट दिनांक 07.07.2016 निर्णय का भाग रहेगी। उक्त भूमि की एवज में मुआवजा राशि के रूपये 220977 प्रति है0 से 1480 वर्ग मीटर की राशि 32705 रूपये का दोगुना 65410 अक्षरे पैसठ हजार चार सौ दस रूपये और एक खेजडी के पेड़ की किमत 5000 अक्षरे पांच हजार रूपये यानि कुल 70410 अक्षरे सत्तर हजार चार सौ दस रूपये कायम कि जाती है। प्रार्थी उक्त राशि जरीये बैंक चालान/ड्राफ्ट द्वारा बैंक में जमा कराकर कार्यालय हाजा के कैशियर के पास जमा करावें। अप्रार्थीगण उक्त राशि एक माह में न्यायालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर लेवें। राशि जमा होने पर उक्त कटाणी रास्ता राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। मिसल नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनॉक 28/02/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)